न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद सं. 59/2021

राजेन्द्र साव वगै0 –बनाम– बसन्ती देवी वगै0

(द.प्र.सं. की धारा 107)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
12.03.2022	अभिलेख उपस्थापित। डुमरी थाना अप्राथमिकी संख्या 34/2021 दिनांक 22.07.2021 द्वारा उभय पक्ष के सदस्यों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण वाद की मूल वजह एवं प्रकृति का अवलोकन नहीं किया जा सका। डुमरी पुलिस द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है, जो विवाद का मूल कारण है। डुमरी थाना से वर्तमान तिथि तक उभय पक्षों के बीच परिशांति भंग होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है। अतः उभय पक्ष के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/–रू. के दो–दो प्रतिभूतियों के साथ 15 दिनों के अन्दर बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध कराऐं एवं Jharkhand RCMS Portal में अपलोड करें। लेखापित एवं संशोधित 12.03.22 कार्यपालक दण्डाधिकारी, डुमरी। 12.03.22 कार्यपालक दण्डाधिकारी, डुमरी।	

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2023.02.03 15:38:36 +05:30
Location: 192.168.1.4